

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013-71 (4576) खाद्य,पटना-15,दिनांक - 20.03.17

प्रेषक,

भरत कुमार दुबे,  
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,  
बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष:-102 सिविलपूर्ति योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0-पी0 3456001020105 विषय शीर्ष 13 03 दूरभाष अन्तर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों एवं पणन पदाधिकारियों को पी0डी0एस0 कम्प्यूटराईजेशन के तहत एस0एम0एस0 मॉनिटरिंग एवं जन वितरण प्रणाली निरीक्षण व्यवस्था (PDS Online Inspection Management System-POIMS) के कार्यान्वयन हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड से 673 सी0यू0जी0 सिम के उपयोग पर दिनांक 01.03.2017 से 28.02.2018 तक की अवधि के लिए व्यय हेतु 19,06,000 (उन्नीस लाख छः हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधानित राशि से विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत वित्त विभागीय पत्रांक 423/वि0 दिनांक 31.03.2016, पत्रांक 4572 दिनांक 03.06.2016 एवं पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में आवश्यकतानुसार/नियमानुसार व्यय करने की अनुमति दी जाती है ।

2. इस राशि की निकासी राज्य योजना के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष:-102 सिविलपूर्ति योजना, मांग संख्या-18, उपशीर्ष 0105 लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0-पी0 3456001020105 विषय शीर्ष 13 03 दूरभाष में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत विकलनीय होगी ।

3. विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति सं0-410 दिनांक 10.03.2017 द्वारा राशि को व्यय करने की अनुमति प्राप्त है ।

4. इस राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जाएगी । राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है । गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे ।
5. राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना से की जाएगी ।
6. इस राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र / व्यय विवरणी विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।
7. विभागीय आदेश/ज्ञापांक संख्या 1420 दिनांक 20.03.2017 के आलोक में आवंटन निर्गत किया जाता है ।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013- 74 (एजल) खाद्य,पटना-15,दिनांक -20.03.17  
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013- 74 (एजल) खाद्य,पटना-15,दिनांक -20.03.17  
प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय  
कोषागार सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(यो0)-11/2013- 74 (एजल) खाद्य,पटना-15,दिनांक -20.03.17  
प्रतिलिपि-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी 01 तथा आई0टी0  
मैनेजर (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु)/प्रशाखा 05 (लेखा शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता  
संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव ।

